

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मिनालय

मिनालय, दिनांक 25/05/90

दिनांक 12-23/97/मे-3/17 राज्य शासन, द्वारा इस विभाग के अधीन
संबंधित दिनांक 1.90 के अन्तर्गत में राज्य के पेशवों को स्वास्थ्य सुविधा
उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा के उद्देश्य राज्य / संभाग / जिला
स्तर पर मिनालायार समिति का गठन किया जाता है :-

राज्य स्तर समिति :-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | आयुक्त, स्वास्थ्य | अध्यक्ष |
| 2. | संचालक, परिवार कल्याण | सदस्य |
| 3. | संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ | सदस्य |
| 4. | राज्य स्तर के पेशवर संघों के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि संबंधित स्तर | |

समिति के अध्यक्ष को राज्य स्तर के पेशवर संघों के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिनालय में एक बार उपस्थित
करना होगा।

संभागीय स्तर समिति :-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | संभागीय आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | संभागीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ | सदस्य |
| 3. | संभागीय स्तर पेशवर संघों के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | संभागीय संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | सदस्य |

समितियों की बैठक तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से की जाये
तब कार्यवाही विवरण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में शाखा-3
को भेजा जाये।

नियम

समितियों की बैठक आवश्यक रूप से की जाये।
समितियों की कार्यवाही संबंधित सूचनाएँ संबंधित संघों को भेजी जायेंगी।

49

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

//अधिसूचना//


रायपुर, दिनांक 2/12/2009

कमांक/एफ-1-13/2008/स्था/चार, राज्य शासन अधिसूचना प्रसारण के दिनांक से पेशन कल्याण मण्डल का पुर्नगठन निम्नानुसार करता है :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन या उनके द्वारा मनोनित प्रमुख सचिव अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग सदस्य
3. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य
4. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदस्य
5. श्री ए.बी.राठौर, अध्यक्ष पेशनर समाज, छ.ग.राज्य जिला शाखा दुर्ग सदस्य
6. श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, पेशन समाज जिला उत्तर बस्तर सदस्य कांकेर
7. श्री नारायण लाल चंद्राकर, अध्यक्ष, छ0ग0पेशनधारी कल्याण संघ जिला सदस्य शाखा महासंमुद
8. डॉ.जी.आर.गिरी, अध्यक्ष, छ0ग0पेशनर समाज, बिलासपुर सदस्य
9. श्री सुखराम भगत, अध्यक्ष, छ0ग0राज्य पेशनर संघ जिला शाखा सदस्य जशपुर
10. आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेशन छत्तीसगढ़ सदस्य/संयोजक

2. पेशनर कल्याण मण्डल का कार्यालय कोष लेखा एवं पेशन संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर होगा ।

3. पेशनर कल्याण मण्डल का कार्य पेशनरों की समस्याओं पर सतत विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना होगा ।



4. मण्डल के मनोनित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर अथवा किसी भी कारण मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ / अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी।

5. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के जापन क्रमांक एफ-बी-6-1/84/नि.2/चार, दिनांक 8.10.84 के अनुसार विनियमित होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(म. ७७७)
(एम०के०खरे),
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
रायपुर, दिनांक 2 /12/2009

पृष्ठांक 0एफ-1-13/2008/स्था/चार
प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
5. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
6. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
7. रजिस्ट्रार हाईकोर्ट, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
8. सचिव, राज्यपाल, राजभवन छत्तीसगढ़।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. नियंत्रक, शासकीय मुद्रलेखन सामग्री, राजनांदगांव को भेजकर लेख है कि आगामी आगामी साधारण राजपत्र में प्रकाशन कर 25 प्रति विभाग को उपलब्ध करावे।
13. संबंधित अध्यक्ष / सदस्य कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 10/5/2010

क्रमांक/एफ-1-13/2008/स्था/चार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-13/ 2008/
स्था/ चार, रायपुर दिनांक 02.12.2009 से पेंशनर कल्याण मंडल का गठन किया गया है ।
राज्य शासन एतद् द्वारा मण्डल की कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार मनोनीत करता है :-

- | | |
|--|---------|
| 1 आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छ0ग0रायपुर | अध्यक्ष |
| 2 श्री ए.बी.राठौर, अध्यक्ष पेंशनर समाज छ0ग0राज्य जिला शाखा दुर्ग | सदस्य |
| 3 श्री सुखराम भगत, अध्यक्ष, छ0ग0पेंशनर संघ जिला शाखा, जशपुर | सदस्य |
| 4 श्री नारायण लाल चंद्राकर, अध्यक्ष, छ0ग0पेंशनधारी कल्याण संघ जिला शाखा महासंमुद | सदस्य |
| 5 अपर संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, छ0ग0रायपुर | सचिव |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.सी.वर्मा)

अवर सचिव,


छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
रायपुर, दिनांक 10/5/2010


पृष्ठांक 0/एफ-1-13/2008/स्था/चार

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।

5. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेशान, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ ।
7. रजिस्ट्रार हाईकोर्ट, बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।
8. सचिव, राज्यपाल, राजभवन छत्तीसगढ़ ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर ।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
11. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय छत्तीसगढ़ रायपुर ।
12. नियंत्रक, शासकीय मुद्रलेखन सामग्री, राजनांदगांव को धरुकर लेख है कि आगामी आगामी साधारण राजपत्र में प्रकाशन कर 25 प्रति विभाग को उपलब्ध करावे ।
13. संबंधित अध्यक्ष / सदस्य
कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

::मंत्रालय::

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002.

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 8 जून, 2012.

क्रमांक 972एफ-1-13/2008/स्था./चार: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-13/2008/स्था./चार रायपुर दिनांक 21.05.2012 से पेंशन कल्याण मण्डल के कार्यकाल में दिनांक 02.12.2011 से 02 वर्ष की वृद्धि की गई है। राज्य शासन, एतद् द्वारा, मण्डल की कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार गठित करता है :-

1.	आयुक्त/संचालक	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर	अध्यक्ष
2.	श्री ए.बी. राठौर	अध्यक्ष, पेंशनर समाज छ.ग. राज्य जिला शाखा दुर्ग	सदस्य
3.	श्री सुखराम भगत	अध्यक्ष, पेंशनर संघ, जिला शाखा जशपुर	सदस्य
4.	श्री नारायण लाल चन्द्राकर	अध्यक्ष, छ.ग. पेंशनधारी कल्याण संघ जिला शाखा महासमुंद	सदस्य
5.	अपर संचालक/संयुक्त संचालक	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, -

(मी.जे. खत्री) 08/06/12

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

रायपुर, दिनांक 8 जून, 2012.

पृ.क. 973 एफ-1-13/2008/स्था./चार
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—0—

क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार

नया रायपुर, दिनांक 10/12/2013


प्रति,

संचालक,
कोष, लेखा एवं पेंशन, संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :- पेंशनर कल्याण मण्डल एवं कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल में वृद्धि करने बाबत ।
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.12.2013.

---:---

कृपया संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करें, जिसके द्वारा पेंशनर कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 31.03.2014 तक वृद्धि की गयी है ।
2/- निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में मण्डल के पुनर्गठन का प्रस्ताव 01 माह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।


(मुकुन्द गजभिये)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
---:--


// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 26/05/2014.

क्रमांक एफ-1-13/2008/स्था./चार: समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.12.2009 द्वारा पेंशन कल्याण मण्डल का पुनर्गठन दो वर्ष के लिए किया गया था। तथा अधिसूचना दिनांक 21.05.2012 द्वारा पेंशनर कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 02.12.2011 से दो वर्ष की वृद्धि की गई तत्पश्चात् अधिसूचना दिनांक 09.12.2013 द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक वृद्धि की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा मण्डल की कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार गठित करता है :-

1.	आयुक्त/संचालक	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2.	श्री राजनारायण दुबे	अध्यक्ष, तहसील शाखा लोरमी, महामाया वार्ड, लोरमी	सदस्य
3.	श्री एम.डी.मानिकपुरी	पेंशनधारी, कल्याण संघ 188, बलौदाबाजार, संजय कॉलोनी,	सदस्य
4.	श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय	सचिव, पेंशनर समाज, जिला शाखा, कायस्थ पारा, दुर्ग	सदस्य
5.	अपर संचालक/संयुक्त संचालक	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(सी.जे. खत्री)

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

रायपुर, दिनांक 26/05/2014.

पृ.क्र. एफ-1-13/2008/स्था./चार

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण/मान. राज्यमंत्रीगण, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक २७/१२/२०१६

क्रमांक एफ १-१३/२००८/स्था./चार.: इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक २६.०५.२०१४ द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

१६/१२/२०१६
(डॉ. ए.के.सिंह)
उप सचिव

नया रायपुर, दिनांक २७/१२/२०१६

पृ.क्रमांक एफ १-१३/२००८/स्था./चार,
प्रतिलिपि:-

१. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
२. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
३. शासन के समस्त विभाग
४. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
५. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर
६. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
७. समस्त माननीय मंत्रीगण छत्तीसगढ़ के निज सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर
८. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
९. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर
१०. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
११. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
१२. नियंत्रक, शासकीय भुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु
१३. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ की वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in/Miscellaneous/main_Circular.asp पर अपलोड करने हेतु
१४. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
१५. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
१६. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
१७. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
१८. राज्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार आयोग, रायपुर
१९. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
२०. भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई/भोपाल/रायपुर
२१. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय शाखा/आंचलिक कार्यालय, रायपुर
२२. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

23. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 24. समस्त जिला कोषालय अधिकारी / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
 25. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
 26. श्री राजनारायण दुबे, सदस्य, अध्यक्ष, तहसील शाखा लोरमी, महामाया वार्ड, लोरमी, छत्तीसगढ़
 27. श्री एम.डी.मानिकपुरी, सदस्य, पेंशनधारी, कल्याण संघ 1881, संजय कॉलोनी, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़
 28. श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, सदस्य, सचिव, पेंशनर समाज, जिला शाखा, कायस्थ पारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़
- ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शोध अधिकारी

दूरभाष क्र. 0771-2510071